भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.: ईसीआई/पीएन/47/2021 दिनांक: 12 अप्रैल, 2020

प्रेस नोट

विषय: 21.04.2021 को सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों की सीटों को भरने के लिए केरल राज्य से राज्य सभा का द्विवार्षिक निर्वाचन-तत्संबंधी

केरल से राज्य सभा के लिए निर्वाचित निम्नलिखित विवरण वाले 03 सदस्यों का कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति पर अप्रैल, 2021 में समाप्त हो रहा है:-

क्र.सं.	सदस्य का नाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	अब्दुल वहाब	21.04.2021
2.	के. के. रागेश	
3.	व्यालार रवि	

2. भारत निर्वाचन आयोग ने अप्रैल, 2021 में सेवानिवृत्त हो रहे राज्य सभा के उपर्युक्त तीनों सदस्यों की सीट भरने के लिए दिनांक 17.03.2021 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/29/2021 के तहत केरल से राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन की घोषणा कर दी थी और अधिसूचना को दिनांक 24.03.2021 को जारी किए जाने वाले भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ माननीय भारत के राष्ट्रपति को संस्तुति भेज दी।

3. हालांकि, उस तारीख, जिस दिन अधिसूचना जारी की जानी थी, की पूर्व-संध्या को आयोग को विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार से एक संदर्भ मिला, जिसमें संवैधानिक औचित्य का एक प्रश्न उठाया गया था। इसलिए, उक्त संदर्भ की जांच करने के लिए, आयोग ने, दिनांक 24.03.2021 के प्रेस नोट के तहत, जांच होने तक उपर्युक्त कार्यक्रम और अधिसूचना के प्रकाशन को स्थगित करने के अपने निर्णय की घोषणा की।

4. आयोग ने उपर्युक्त रिक्त स्थानों को भरने के लिए केरल से राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचनों को निम्न कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करने का निर्णय लिया है:--

क्र.सं.	**कार्यक्रम**	**दिनांक और दिन**
1.	अधिसूचना जारी करना	13 अप्रैल, 2021 (मंगलवार)
2.	नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि	20 अप्रैल, 2021 (मंगलवार)
3.	नाम-निर्देशनों की संवीक्षा	21 अप्रैल, 2021 (बुधवार)
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तारीख	23 अप्रैल, 2021 (शुक्रवार)
5.	मतदान की तिथि	30 अप्रैल, 2021 (शुक्रवार)
6.	मतदान का समय	पूर्वा. 9.00 बजे से अप. 4.00 तक
7.	मतगणना	30 अप्रैल, 2021 (शुक्रवार) सायं 5.00 बजे
8.	वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन पूरा कर लिया जाएगा	03 मई, 2021 (सोमवार)

5. आयोग द्वारा दिनाक 09.10.2020 एवं 09.04.2021 को जारी कोविड-19 सम्बंधी अनुदेशों का यथा लागू कड़ाई से पालन किया जाएगा।

6. आयोग ने दिनांक 18 मार्च, 2021 के पत्र के तहत उपर्युक्त द्विवार्षिक निर्वाचनों के संचालन की व्यवस्था करते समय कोविड-19 कंटेनमेंट उपायों के संबंध में मौजूदा निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने के लिए मुख्य सचिव, केरल को पहले ही निर्देश दे दिया है।

7. इसके अलावा, आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, केरल को निर्वाचन का प्रेक्षक भी नियुक्त किया है।

ह./-

(प्रफुल्ल अवस्थी)

अवर सचिव